न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2020

(पंचायत) निगरानी संख्या 14/ 20

जीसीएम संख्या :–2020/00126

बउनवानीः– मुन्ना पुत्र सुबराती जाति पिंजारा निवासी बावडी पाडा, चौथ का बरवाडा

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा
2. श्रीमति कमला देवी पत्नि श्री मदन लाल गुर्जर निवासी चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पत्रावली संख्या 1130 निर्णय दिनांक 5.1.2019 की पालना में जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 5.3.2019 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री अजय शेखर दवे — वकील प्रार्थी

2. श्री सुधीर कुमार जैन, श्री छोटू सिंह गुर्जर, — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 10.8.2023

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की पत्रावली संख्या 1130 मे पारित निर्णय दिनांक 5.1.2019 की पालना में जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 5.3.2019 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु जरिये नोटिस तलबी की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 5.1.2019 को अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में विवादित पटटा/आदेश जैर अपील अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिवायचक/खातेदारी भूमि के भाग का अवैध रूप से पारित किया गया है जिससे राजस्व की हानी भी हुई है तथा राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र का भी अतिक्रमण हुआ है। यह है कि विवादित पटटा ख0न0 1126 रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0 बाडा जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि विपक्षी व प्रार्थी के अन्य सहखातेदारो द्वारा उक्त भूमि को चुपचाप बेचने की योजना बनाई जिसके तहत विपक्षीयों ने उक्त भूमि को मृतक हमीद के पुत्रो से सोदा किया तथा उसमे निर्माण करने लगे। जिसके बाद प्रार्थी ने अपने हित को बचाने के लिए न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के समक्ष मुकदमा संख्या 80/18 व 48/18 पेश किया था जिसमे न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कर सारे तथ्यों का आंकलन करने के उपरान्त दिनांक 25.4.2018 को विवादित भूमि को कब्जे राज मे लेने के आदेश पारित करते हुए तहसीलदार चौथ का बरवाडा को रिसीवर नियुक्त किया जो आदेश दिनांक 17.3.2020 तक प्रभावी रहा है। अर्थात पटटा जारी करने की दिनांक को भी उक्त भूमी रिसीवर के कब्जे मे थी ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत द्वारा बिना तथ्यो की जानकारी किये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विवादित भूमि का मालिकाना हक/विपक्षी के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 5.3.2019 विधि विरूद्व है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी 18.3.2020 को होने पर निगरानी जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः आदेश जैर निगरानी अपास्त किया जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार द्वारा यह निगरानी झूठें तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि मुझ अप्रार्थीया द्वारा दिनांक 20.7.2018 को पुराना खाम मकान का पटटा चाहने बाबत ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.7.2018 को पत्रावली संख्या 1130 दायर की जाकर दिनांक 27.7.2018 को ही आपत्ति नोटिस कमांक 316 जारी किया गया। इसके पश्चात किसी भी व्यक्ति की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 25.12.2018 को मौका देखा गया तथा पत्रावली पर मोजूद नक्शा के मुताबिक मौका स्थिति सही पाया जाने पर नियमानुसार विकास शुल्क 2100/–रू व पटटा शुल्क 200/–रू कुल 2300/–रू जमा किया जाकर आप्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी किया गया है। वकील प्रार्थी के कथनानुसार उक्त पटटा संख्या 28 ख0न0 1126 रकबा 0.0300 है0गै0मु0 बाडे की खातेदारी भूमि मे जारी किया जाना बताया गया है किन्तु कथन के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उक्त कथन की पुष्टि हो सके। ऐसी स्थिति में निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि निगरानीकार ने आदेश जैर निगरानी पत्रावली संख्या 1130 में जारी पटटा संख्या 28 दिनांक 5.3.2019 विधिविरूद्व होने का मुख्य आधार यह बताया गया है कि उक्त पटटा ख0न0 1126 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 बाडे की ऐसी खातेदारी भूमि पर जारी किया गया है जो भूमि उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 80/18 व 48/18 मे रिसीवरी मे दी जा चुकी थी तथा उक्त भूमि दिनाक 17.3.2020 तक रिसीवरी मे रही थी। इस प्रकार दौराने रिसीवरी ही ख0न0 1126 की भूमि पर उक्त पटटा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किये जाने बाबत वकील निगरानीकार ने कथन किया है किन्तु पत्रावली पर उक्त पटटे की भूमि का रिसीवरी आदेश तथा ऐसा कोई सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर उक्त पटटे की भूमि को ख0न0 1126 की भूमि माना जा सके। अर्थात ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि विवादित पटटा संख्या 28 ख0न0 1126 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 बाडे की खातेदारी भूमि मे से जारी किया गया हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे जारी पटटा विधिसम्मत होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 14:41:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner